खलिहान में अग्नि सुरक्षा पर ध्यान देने योग्य बातें।

बिहार सरकार

1. खलिहान को हमेशा गाँव की आबादी एवं फसलों से भी दूर खुले स्थान पर लगायें।
2. थ्रेशर का उपायोग करते समय डीजल इंजन या ट्रैक्टर के साईलेंसर को लम्बे पाईप के द्वारा ऊँचाई पर रखें।
3. थ्रेशर के उपयोग करते समय पास में कम से कम 200 लीटर पानी भरकर अवश्य रखें।
4. खलिहान के आस-पास छोटी बाल्टियों में रेत या बालू भरकर रखें।
5. रोशनी के लिए सोलर लैम्प, टार्च, इमरजेन्सी लाईट इत्यादि बैटरी वाले यंत्र का ही प्रयोग करें।
6. एक खलिहान से दूसरे खलिहान की दूरी 20 फीट से कम न रखी जाए।
7. खलिहान वैसी जगह लगायी जाएँ जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सके।
8. खलिहान वैसी जगह हो जहाँ जल स्त्रोत नजदीक हो जैसे- नदी, तालाब, पईन, बोरिंग।
9. खलिहान में कच्ची फसलों का बड़ा टाल न लगायी जाएँ।
10. खलिहान के आस-पास अलाव न जलायें, यदि बहुत आवश्यक हो तो पानी भरी बाल्टियाँ अवश्य पास में रखें।
11. बिजली की नंगी तारें के नीचे खलिहान नहीं बनायी जाएँ।
12. खलिहान में पूजा में उपयोग किए जाने वाली वस्तु तथा अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादी पर नजर रखें, जबतक कि वह पूरी तरह बुझ न जाए।
13. नमी वाले फसलों की थ्रेशिंग न करें।
14. खलिहान के आस-पास किसी भी उत्सव के दौरान आतिशबाजी का प्रयोग न तो स्वयं करें नही दूसरे को करने दें।
15. खलिहान सड़कों के किनारे या रेलवे लाईनों के निकट न बनाये।

बिहार सरकार
बिहार अग्निशमन सेवा
गृह (आरक्षी) विभाग

टेलीफैक्स- 0612-2222020
ईमेल- sfocumdirector.bihar01@gmail.com

बिहार सरकार

मवेशियों के लिए आग से सुरक्षा हेतु उपाय

1. मवेशियों के लिए घर यथासंभव जी0आई0 अथवा एस्बेस्टस सीट के बनायें, क्योकि इसमें आग नहीं लगती है।
2. सधारणतया मवेशियों को झोपड़ियों में रखा जाता है एवं उन्हें मच्छर एवं कीड़ों से बचाने के लिए धुऑ किया जाता है जिससे आग लगने की सम्भावना बराबर बनी रहती है। इसलिए जमीन में गड्डा खोदकर धुआँ करना चाहिए तथा सावधानी बरतनी चाहिए।
3. मवेशियों के बथान को गाँव से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, क्योकि गाँव में आग लगने की सम्भावना अधिक रहती है।
4. बड़े एवं घने पीपल, पाकड़, बरगद आदि के छायादार पेड़ होते है, जहाँ गाय/जानवरों का बथान गर्मी के मौसम में बनाना अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित होगा।
5. मवेशियों को बाँधने के खूँटे मवेशियों की क्षमता के अनुसार रखे जायें ताकि आपात स्थिति में जानवर उस खूँटे को तोड़कर आसानी से बाहर भाग सके।
6. जानवरों के बाँधने की रस्सी को खूँटो में खींच कर खुली गाँठ से बाँधा जायें। ऐसी गाँठ तत्काल खुल जाती है।
7. मवेशियों को हमेशा जूट की रस्सी से ही बाँधे।
8. जानवरों के रखने वाले घरों के नजदीक पानी का पर्याप्त भंडार रखना चाहिए।
9. विशेष कर गर्मी के दिनों में बथान में सजग व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहें ताकि आपात स्थिति में मवेशी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके।

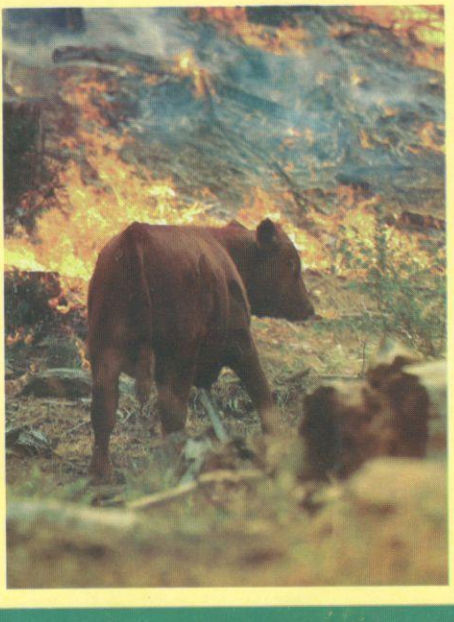

बिहार सरकार

बिहार अग्निशमन सेवा

गृह (आरक्षी) विभाग

टेलीफैक्स- 0612-2222020

ईमेल- sfocumdirector.bihar01@gmail.com

खेत (फसल) के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें

बिहार सरकार

1. फसल कटने तक बोरिंग पर पम्पिंग सेट तैयारी हालत में रखें।
2. अगर खेत में आग लग गई हो तो फैलने वाली दिशा में थोड़ी दूरी पर फसल काट (फायर ब्रेक) दें।
3. फसल ढुलाई के लिए खेतों के बीचो-बीच से ट्रैक्टर, पिकअप, भॉन आदि वाहनों को लाने एवं ले जाने का प्रयोग न करें।
4. अगर खलिहान के पास तालाब या अन्य कोई जल स्त्रोत हो तो वहाँ से पाईप या पम्पिंग सेट तैयार रखें।
5. खेतों में बिजली के नंगे तार के नीचे हरा चारा उगायें एवं पकनी वाली फसलें न लगायें।
6. खेतों से गुजरने वाले बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढ़ीला या खुला न छोड़े।
7. बॉस के खम्भे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में न रखें।
8. खेत के आस-पास बीड़ी-सिगरेट आदि न पीये तथा न हीं किसी को पीने दें।
9. खेत के आस-पास पूजा एवं हवन न करें और न ही करने दें।
10. कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग न लगायें, आग फैलता है, वातावरण दूषित करता है।
11. सूखे फसल के खेतों के इर्द-गिर्द अलाव, चूल्हे की राख न फेकें।
12. पकी फसल के खेतों के अगल-बगल पेड़ से गिरे पत्ते या झाड़ियों में आग न लगायें।
13. पकी फसलों के आस-पास खेतों में थ्रेशिंग का कार्य न करें।
14. किसी भी उत्सव के दौरान पकी फसल के आस-पास आतिशबाजी का प्रयोग न करें ना ही करने दें।

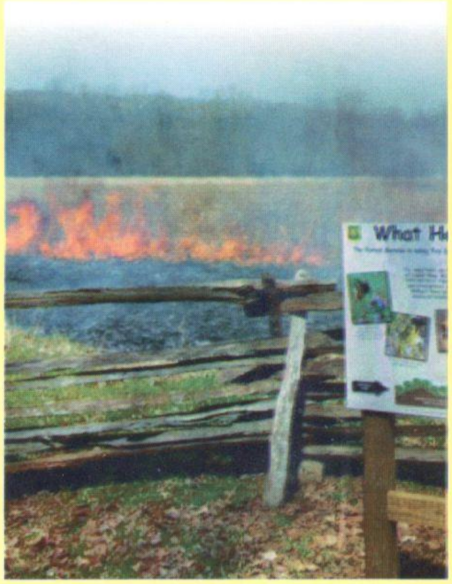

बिहार सरकार

बिहार अग्निशमन सेवा

गृह (आरक्षी) विभाग

टेलीफैक्स- 0612-2222020

ईमेल- sfocumdirector.bihar01@gmail.com

बिहार सरकार

नहीं करें

नते सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से इधर-उधर नहीं फेंके।

क ही सॉकेट में बहुत सारे बिजली के उपकरणों के प्लग नहीं लगायें।

ा सिलिंडरों के रखरखाव के नियमों का उल्लंघन करके एल पी गैस
ा नहीं करें।

यर डिटेक्टर/स्प्रिंकलर हेडों को कभी पेंट न करें।

ग्निरोधी प्रणाली की सर्विसिंग करने के लिए अयोग्य ठेकेदारों को
भी न लगायें।

आग लगने पर

101

नंबर पर डायल करें
या
निकटतम अग्निशमन केन्द्र
से सम्पर्क करें

आग की रोकथाम के लिए
सावधानियां बरतें

बिहार सरकार
बिहार अग्निशमन सेवाएँ
गृह (आरक्षी) विभाग
टेलीफैक्स- 0612-2222020
ईमेल- sfocumdirector.bihar01@gmail.com

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना- 800 001 द्वारा प्रकाशित तथा दी गाँधी इंटरप्राईजेज नयाटोला पटना - 4

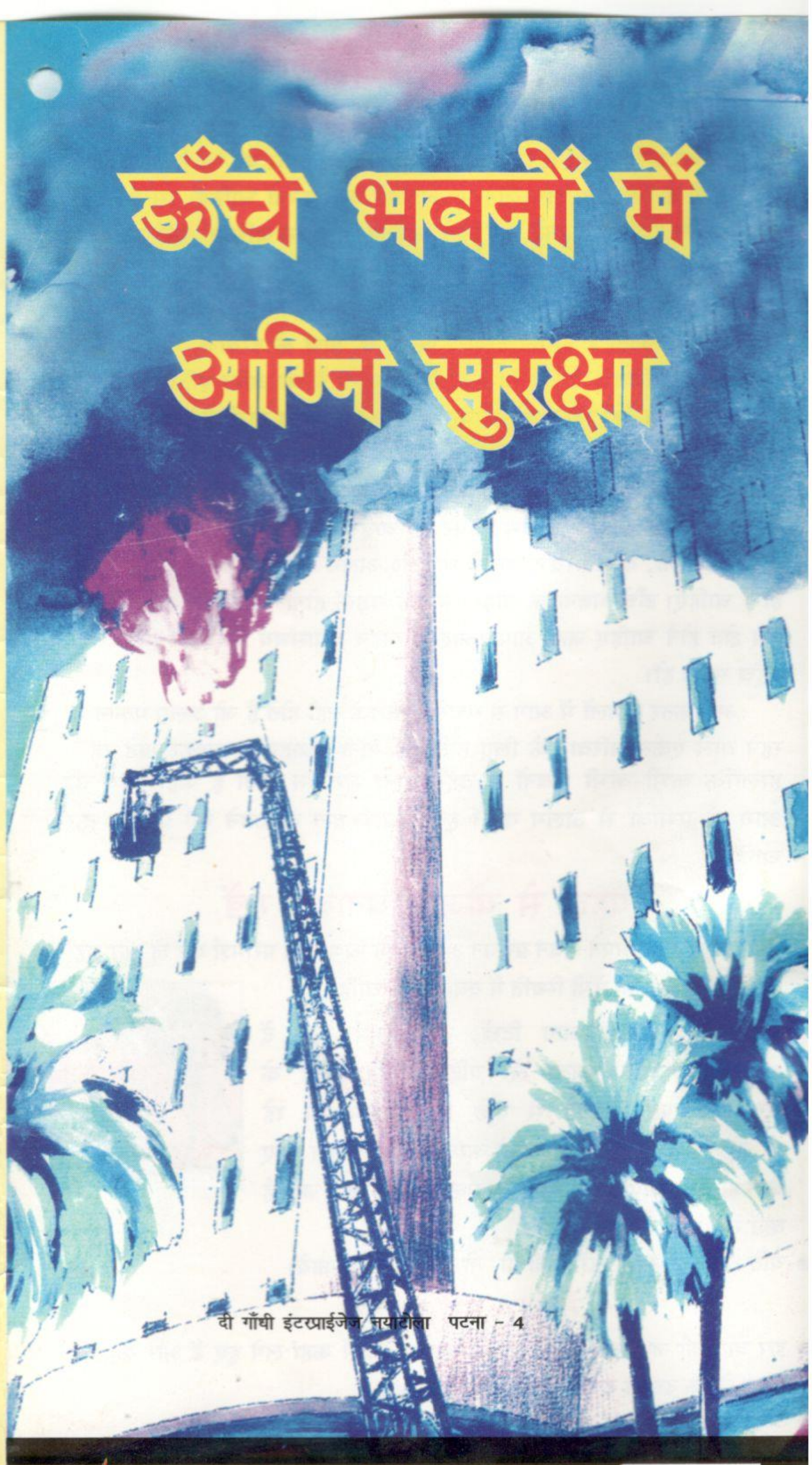

आग जानलेवा हो सकता है
आप इसे
रोक सकते है

यदि आपके भवन में
कहीं भी आग लग जाए

सामान्य तौर पर अपने फ्लैट में रुकना सुरक्षित होता है। किन्तु यदि आपके फ्लैट पर आग की गर्मी या धुएं का प्रभाव पड़ रहा हो, तो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बन्द करके फौरन बाहर निकल पड़े।

ऊँचे भवनों में अग्नि सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी और परामर्श के लिए अपने स्थानीय फायर ब्रिगेड से सम्पर्क करें।

क्या करें

1. भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी आदेशों को लागू किया जाना चाहिए जिसमें रहने वाले सभी लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित हो।
2. घर का सही तरह से रखरखाव होना चाहिए।
3. धूम्रपान करते समय एश ट्रे का प्रयोग कीजिए और सिगरेट-बीड़ी के बच गए टुकड़ो को बुझा देने के बाद उसी में डाल दीजीए।

4. नियमित अन्तराल पर सभी कूड़ेदानियों को खाली करते रहना चाहिए।
5. सही रेटिंग वाले तार और बिजली के उपकरण आदि का उपयोग करना चाहिए।
6. खराब बिजली के उपकरणों की तत्काल मरम्मत कराएं/बदल दीजिए।
7. एम सी बी, जी सी डी जैसे विधुत सुरक्षा के साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्विचों और फ्यूजों में सही रेटिंग के सर्किट लगाने चाहिए।
8. वेल्डिंग/कटिंग का कार्य कड़ी निगरानी में कराया जाना चाहिए।
9. धुआं/फायर चेक (अग्नि जांच) के दरवाजे को सदैव बन्द रखें।
10. बाहर निकलने के रास्ते पूरी तरह से बाधा-मुक्त रखिए।
11. लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास (ड्रिल) नियमित अन्तराल पर करते रहना चाहिए।
12. सभी निवासियों को आग बुझाने का प्रारंभिक प्रशिक्षण देना चाहिए।
13. आपात स्थिति में कार्य करने वाले संगठन का गठन होना चाहिए।
14. अग्नि सुरक्षा उपकरणों का उच्चस्तरीय रख-रखाव होना चाहिए और नियमित अन्तराल पर उसकी जांच होनी चाहिए।

हर निकलने की कुछ योजनाओं में इस बात का उल्लेख हो सकता है कि भवन भीतर ''सुरक्षित क्षेत्र में'' चले जाएं और दमकल कर्मियों की प्रतीक्षा करें नकी निगरानी में आप सबको बाहर निकाला जाएगा।

पने अपार्टमेंट के प्रत्येक कमरे से बाहर निकलने के कम से कम दो मार्गो के बारे जानकारी रखें।

पनी आवास इकाई तथा भवन से बाहर निकलने के निकटतम स्थान के बीच जूद दरवाजों की संख्या की जानकारी रखें। आपको अंधेरे में आग से बचने के ए बाहर निकलना पड़ सकता हैं।

चे भवनों में लगी आग के कतिपय मामले में स्वयं को आग से बचाकर रखते हुए दर रूकना और अग्नि विभाग के कर्मियों के आने का इन्तजार करना सुरक्षित हो कता है।

यदि आप निकल रहे हों

लैट के अन्य लोगों को सतर्क कर दें।

कमरे को तत्काल छोड़ दें और दरवाजे को बंद कर दें। आग से स्वयं तब तक न जूझे जब तक कि ऐसा करना सुरक्षित न हो।

फ्लैट को छोड़ दें और जब सभी बाहर आ जायें, मुख्य दरवाजे को बंद कर दें, बालकनी प्रयोग नहीं करें। उसका प्रयोग तभी करें जब बाहर निकलने का वह अधिकृत मार्ग हो।

फायर ब्रिगेट को बुला लें।

तेजी से बाहर निकलें, सभी दरवाजों को बंद करते जायें ताकि आग और धुाएं के फैलाव को धीमा किया जा सके।

यदि आपके सामने धुआं या आग की लपटें हों तो दूसरे मार्ग का उपयोग करें। दि आपको धुएं से ही निकलना पड़े, तो नीचे लेटकर रेंगते हुए निकलें। आग और आं ऊपर की ओर उठता है। फर्श से 1-2 फुट ऊपर की ओर उठता है। फर्श से /२ फु ट तक स्वच्छ हवा मिल सकती है।

दरवाजे को खोलने से पूर्व उसकी जांच कर लें। घुटनों के बल चलें या झुककर चलें, ऊपर उठकर दरवाजे, नॉब और दरवाजे के बीच के स्थानों को हथेली के पीछे की ओर से छूकर देखें। यदि दरवाजा गर्म हो, तो उसे नहीं खोलें। यदि दरवाजा ठंडा महसूस हो, तभी उसे सावधानीपूर्वक खोलें और यदि धुआं या गर्मी भीतर आने लगे तो तेजी से उसे बन्द करने के लिए तैयार रहें।

आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का कभी प्रयोग नहीं करें। यह किसी ी तल पर या उस पर जहां आग लगी हो रुक सकती है। सीधे उस ीढ़ी की ओर जाइए जहां धुआं लपट नहीं हो

एक बार आप बाहर निकल जायें, तो अग्नि बुझाने वालों को बतायें कि वन के अन्दर कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। किसी भी कारण से तब तक भीतर हीं पहुँचे जब तक अग्निशम कर्मी यह न कह दे कि भीतर जाना सुरक्षित है।

यदि आपको भीतर ही रहना पड़े.......

- यदि आप सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकते हैं या ऐसा दिशा-निर्देश मिल रहा ह कि आप वहीं रहें जहां है, तो शांत चित रहें और स्वयं को आग से बचाते रहें।
- यदि संभव हो बाहर की खिड़की से कमरे में जाएं और टेलीफोन कर दें। अपने औ आग के बीच के सभी दरवाजों को बन्द कर दें।
- दरवाजों में गैप को भरने के लिए डक्ट टेप का प्रयोग करें या फिर उसमें तौलिए चीथड़े या चादर ठूंस दें जिससे वह गैप बन्द हो जाए तथा धुआं कमरे में नहीं पहुँचे।
- जिस कमरे में आप फंसे पड़े हैं उसमें टेलीफोन हो, तो फायर ब्रिगेड को कॉल करके बतायें कि आप वास्तव में कहां पर हैं।
- यदि आपको खिड़की से अग्नि शमन कर्मी दिखाई पड़ें तो वहीं आवाज देकर उन्हें अपने बारे में बताइए।

- खिड़की के पास खड़े होकर प्रतीक्षा करें और फ्लैश लाइट बीम यदि आपके पास हो तो उसकी सहायता से या फिर चादर या अन हल्के कपड़े को लहराकर सहायता के लिए संकेत करें।
- यदि संभव हो तो ऊपर की खिड़की और नीचे की खिड़की खोल दें ताकि ताज हवा भीतर आ सके, लेकिन यदि बाहर से धुआं आने लगे तो उसे तेजी से बन्द क दें।
- खिड़की को तोड़ें नहीं।
- धौर्य रखें। ऊँचे भवनों के सभी निवासियों को बाहर निकालने में कई घंटे ल सकते हैं।

फायर डिटेक्टर, प्राथमिक अग्निशमन प्रणाली

यह पता करके रखें कि आपके भवन में फायर/स्मोक चेक दरवाजों, फा अलार्मों, अपातकालीन प्रकाश प्रणाली और फायर स्प्रिंकल प्रणाली के रखरख की जिम्मेदारी किसकी है। कहीं भी कोई दोष दिखे तो बिना हिचक उसके बारे रिपोर्ट कर दें। समस्या समाधान नहीं होने पर स्थिति की जानकारी फायर ब्रिगेड दें। यह सुनिश्चित करें कि आपसी आवासीय इकाइयों के भीतर या बाहर कोई ऐसी बाधा मौजूद नहीं हो जो अग्नि शमन प्रणालियों को प्रभावित कर रही हो।

बाहर निकलने के रास्ते

आग लगने पर बाहर निकलने के रास्ते को कभी बन्द नहीं करें या रास्ते को ज नहीं होने दें। बाहर निकलने के मार्ग से बेकार की वस्तुओं को दूर रखें। आग ल पर उन दरवाजों से न सिर्फ बाहर निकलने में आसानी होती है बल्कि वे दरव आग और धुएं को फैलाने से भी रोकते हैं। खुले फायर दरवजों पर कभी भी टेक लें।

ऊँचे भवनों में अग्नि सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है। ऊँचे-ऊँचे भवनों में आग से प्रतिवर्ष जान माल का भारी नुकसान होता है।

यह पुस्तिका ऊँचे भवनों में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है जो आपको यह बताती है कि आग लग जाने पर आपको क्या करना चाहिए। इसे ध्यान से पढ़िए अग्नि रोधी तकनीकों को लागू कीजिए और इस पुस्तिका को आगे की कार्यवाही के लिए अपने पास रखिए।

यद्यपि ऊँचे-ऊँचे भवनों के डिजाइन और उनका निर्माण सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है उसकी दीवार, फ्लैटों के बीच के दरवाजे, सीढ़ियों और कारीडोरों को विशेष तौर से डिजाइन किया जाता है जो अग्नि प्रतिरोधी होते हैं तथा उनमें धुँआ नहीं फैले, इसकी कुछ हद तक व्यवस्था रहती है। राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार ऊँचे भवनों में स्मोक डिटेक्टरों, स्प्रिंक्लरों, प्राथमिक अग्निरोधी प्रणाली, पर्याप्त जल आपूर्ति, फायर पम्पों, आग से बचकर बाहर निकलने के रास्ते, फायरमैन लिफ्ट, सर्विस शाफ्ट के बाड़े, अलग-अलग खंड, अनुमोदित विद्युत प्रणाली, कूड़ाकरकट डालने के लिए अलग से स्थान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊँचे भवनों के बाहर, सम्पर्क सड़कें होनी चाहिए और आस-पास ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जहाँ आपातकालीन वाहन यथासंभव नजदीकी स्थान तक पहुँच सकते हों।

अधिकतर मामलों में आग से बचने के तरीके वही होते हैं जो अलग मकान में रहने वाले एकल परिवार के लिए होते हैं : यानी ''बाहर निकलकर खड़े रहें'' हालांकि कभी-कभी भवनों में ठहर जाना सुरक्षित होता है जहां स्वयं को आग के प्रभावों से अलग करते हुए बचाव दल के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

पहले से योजना बनाकर रखें

पहले से ही अपने भवन प्रबंधन और अग्नि विभाग से परामर्श कर लें और यह जान लें कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।

- यदि आपको कहीं आग दिखें, तो अलार्म बजा दें और फायर ब्रिगेड बुला लें। यदि आपको भवन के जन उद्घोषणा प्रणाली से कुछ निर्देश दिए जा रहे हों, तो उन्हें ध्यान से सुनें और जैसे करने के लिए कहा जाए वैसा ही करें। आपको यह कहा जा सकता है कि आप जहां है वहीं रहें।
- यदि धुआं या आग नहीं फैली हो, तो बाहर निकल जायें।

तैयार रहें

- इस बात की जानकारी रखें भवन में फायर अलार्म कहां लगे हुए हैं और यह भी सीख लें कि उनका उपयोग कैसे किया जाए।
- अपने भवन के फायर अलार्म की आवाज के बारे में जानकारी रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके घर का प्रत्येक सदस्य यह जानता हो कि फायर अलार्म बजने की स्थिति में कहां जाना है और इस बात का मिलकर अभ्यास करते रहें कि आग लगने की स्थिति में किस प्रकार बाहर निकलना चाहिए। आपके भवन प्रबंधन को बाहर निकलने की योजना ऐसे स्थान पर दर्शानी चाहिए जहां हर कोई उसे देख सकता हो।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें।

1. रसोई घर को यथासंभव अग्निरोधक बनाने के लिए उसे चारो तरफ गीली मिट्टी का लेप लगा दें। फूस के घरो में भी मिट्टी का लेप लगाएँ।
2. देहाती क्षेत्रों में खास कर फूस एवं खपरैल मकानों के निवासी खाना सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 से 6 बजे के बीच (सुर्यास्त से पूर्व) बना लें।
3. दीप, लालटेन, ढिबरी आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें।
4. रसोई में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न रखें, जैसे मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि।
5. ढीले और सिंथेटिक कपड़े न पहने और बालों को खुला न रखें। रसोई घर से बच्चों को दूर रखें।
6. तेज हवा में खुली जगह पर खाना न पकाए। यदि संभव हो तो चूल्हे को चारो तरफ से घेर कर रखें।
7. किसी भी जलते पदार्थ को बुझा कर ही सोयें।
8. घर में हमेशा अग्निशामक पदार्थ जैसे कि पानी, बालू, सुखी मिट्टी/धूल इत्यादि जमा कर रखें।
9. हरे पेड़ जैसे केला में अग्नि ताप को कम करने की क्षमता होती है। अतः इसे अपने घर के चारो ओर लगाये।
10. सभी लोगों को प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए।
11. सभी लोग आपातकालीन सेवा का फोन नंबर 101 अपने पास अवश्क रखें।
12. जलती हुई बीड़ी सिगरेट और माचिस की काठी खेत खलिहान में न फेंके।
13. आग बुझाने के लिए पानी, बालू और सूखी मिट्टी/धुल का प्रयोग करें।

✓ क्या करें :

- ❖ एक बड़े से ड्रम (200 ली0) में पानी हमेशा भरकर रखें।
- ❖ कुछ छोटी बाल्टी में रेत या बालू भी रखें।
- ❖ एक दो जूट की पुरानी बोरी को पानी में भींगो कर रखें।
- ❖ रोशनी के लिए बैट्री वाले संयंत्र जैसे टार्च, इमरजेंसी लाईट आदि का ही प्रयोग करें।
- ❖ कई बार खलिहान में पूजा भी की जाती है। पूजा में उपयोग वाले अगरबत्ती, धूप आदि पर तब तक नजर रखें जब तक वह पूरी तरह बुझ नहीं जाता।
- ❖ यदि आसपास कोई तालाब या अन्य जलस्रोत हो तो वहाँ से खलिहान तक का पाईप (सिंचाई में उपयोग आने वाले पाईप) और पम्पसेट तैयार रखें।

X क्या न करें :

- ❖ थ्रेसर चलाने में उपयोग आने वाले डीजल इंजन या ट्रैक्टर के धुआँ वाले पाईप से हवा की दिशा में अनाज का बोझा नहीं रखें।
- ❖ बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढीला या खुला न छोड़ें।
- ❖ बिजली के जोड़ को कभी भी प्लास्टिक से नहीं बांधे।
- ❖ बिजली के कनेक्शन के लिए कम या खराब गुणवत्ता वाले तार का प्रयोग न करें।
- ❖ खलिहान के आस पास बीड़ी, सिगरेट न पीयें न किसी को पीने दें।

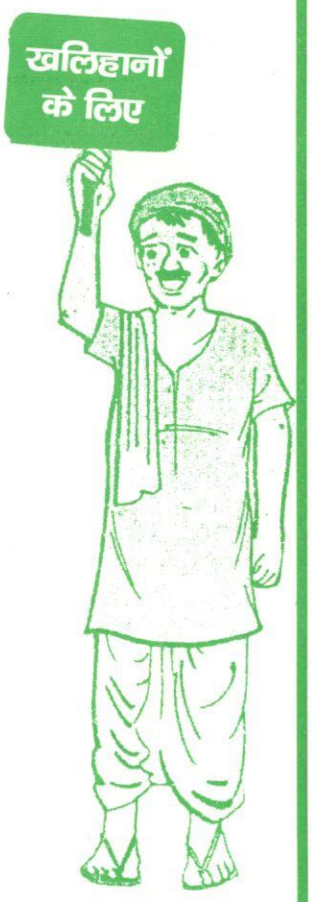

बिहार सरकार
बिहार अग्निशमन सेवाएँ
गृह (आरक्षी) विभाग
टेलीफैक्स- 0612-2222020
ईमेल- sfocumdirector.bihar01@gmail.com

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना- 800 001 द्वारा प्रकाशित तथा दी गाँधी इंटरप्राईजेज नयाटोला पटना - 4